

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बाँदा

❖ घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजान देने वाले 02 अभियुक्तों को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा 48 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए सामान के साथ घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बाँदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि अभियुक्तों द्वारा दिनांक 21.02.2024 की रात्रि में थाना कालिंजर क्षेत्र के बिरौना में तेजबहादुर सिंह के घर से 01 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी बिछिया व 10 हजार रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में थाना कालिंजर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 23.02.2024 को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को छतैनी गौशाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए माल के साथ घटना में वादी को धमकाने में प्रयुक्त अवैध तमंचों को बरामद कर लिया गया है।

बरामदगी-

- चोरी की गई 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
- चोरी की गई 01 जोड़ी बिछिया सफेद धातु
- चोरी किए गए 4800 रुपये।
- 02 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर
- 05 अदद कारतूस जिंदा 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द आरख पुत्र नत्थू आरख नि0 ग्राम मोतियारी थाना नरैनी जनपद बाँदा।
2. श्यामदीन उर्फ बउआ पुत्र बाबूलाल आरख नि0 ग्राम बिरौना थाना कालिंजर जनपद बाँदा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 28/24 धारा 457/380/506/411 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर जनपद बाँदा

अभियुक्त अरविन्द आरख उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 102/23 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना कालिंजर
2. मु0अ0सं0- 116/16 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना नरैनी
3. मु0अ0सं0- 41/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना नरैनी
4. मु0अ0सं0- 47/22 धारा 41/411 भादवि0 थाना नरैनी
5. मु0अ0सं0- 802/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना को0नगर बाँदा
6. मु0अ0सं0- 822/21 धारा 60 आब0 थाना को0नगर बाँदा
7. मु0अ0सं0- 1138/22 धारा 379/411/413 भादवि0 थाना को0नगर बाँदा
8. मु0अ0सं0- 1150/22 धारा 379/411/413 भादवि0 थाना को0नगर बाँदा
9. मु0अ0सं0- 1170/22 धारा 379/411/413 भादवि0 थाना को0नगर बाँदा
10. मु0अ0सं0 28/24 धारा 457/380/506/411 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कालिंजर श्री ऋषिदेव सिंह
2. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा चौकी प्रभारी सदा थाना कालिंजर
3. कां0 खेमराज
4. का0 पंकज कुमार